भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2742

दिनांक 22 **दिसंबर**, 2022

पेट्रोलियम पाइपलाइनों का मुद्रीकरण

2742. **श्रीमती कविता मलोथू**:

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंत्ता :

डॉ.जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल पीएसयू की पाइपलाइनों को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को हस्तांतरित करने और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने अपनी पाइपलाइन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि यह पूंजी जुटाने का एक महंगा तरीका होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाइपलाइन के मुद्रीकरण से उनकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी और कम ब्याज दर पर बाजार से उनके पूंजी प्राप्त करने पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) तेल पीएसयूज के पाइपलाइन (पाइपलाइनों) को अवसंरचना निवेश न्यास को स्थानान्तरित करने के संबंध में कोई निर्देश/आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) तेल पीएसयूज द्वारा विभिन्न मानदंडों जैसे परिसंपत्तियों की प्रकृति और अवस्थिति, व्यवहार्य अंतरण संरचना, भावी व्यवसायिक संभाव्यता, उनके तुलन पत्र की सुदृढ़ता, ऋण इक्विटी अनुपात, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उपलब्ध सभी अवसरों का तुलनात्मक लागत विश्लेषण आदि जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर मुद्रीकरण के लिए परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है।

****